

15 वर्ष तक भिन्न भिन्न अवधियों के लिये दिए जा रहे हैं।

(घ) स्थानान्तरण आवश्यक रूप से किसी विशिष्ट केन्द्र पर काम करने की अवधि के आधार पर नहीं किये जाते। कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखा या स्थानान्तरित किया जाता है।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बिरोध पक्ष की तरफ से जो यह शिकायत आती रहती है कि रेडियो में, खास तौर पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के एपाइन्टमेंट के बारे में कि पिछले दो साल में उनके पदों पर जो प्रमोशन हुआ है, क्या वह भी सब लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ है या सरकार ने मनमाने ढंग से अपनी मर्जी के लोगों को, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, प्रमोट किया है? क्या बाकी के जो दूसरे लोग इसके लिये उपयोगी और काबिल थे उनको प्रमोट नहीं किया गया है? क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की तरफ से कई बार इसके बारे में आपन भी सरकार को मिले हैं? मंत्री महोदय का इस बारे में क्या जवाब है?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I K GUJRAL) : Sir, first of all I would like to strongly refute the implied allegation of the hon. Member regarding governmental policy. Sir so far as the position regarding Programme Executives is concerned it has been decided that 50 per cent of the Programme Executives would be selected directly by U.P.S.C and the remaining 50 per cent through promotion by D.P.C. These rules have been approved by the Department of Personnel and also by the concerned departments. In this connection I may say that only recently a selection has taken place and fortunately the U.P.S.C has selected a number of people from various areas and languages which were not represented in All India Radio before.

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ।

मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि यह जो इनकी प्रमोशन की गई है, इसमें भी क्या सब लोक सेवा आयोग की सिफारिश आई थी, या इस मंत्रालय ने या इस महकमे ने मनमाने ढंग से प्रमोशन कर दिया है? मंत्री जी इस बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं।

SHRI I K GUJRAL. For Class II promotions UPSC representative as a matter of rule was not associated but the D.P.C. which was constituted internally associated somebody from outside. For Class I promotions UPSC Member is associated.

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने सवाल यह पूछा था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स के जो ट्रांसफर किये जाते हैं, उनमें बहुत से ऐसे एड-हाक एपाइन्टिज हैं जिनके कई सालों से ट्रांसफर नहीं हुए हैं और कई सालों से यहाँ पड़े हुए हैं और वह किसी भी कम्पटीटिव एक्जाम में कपीट नहीं कर पाये हैं, जिनकी बजह से दूसरे काबिल लोग वहाँ काम पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये लोग सरकार की मर्जी पर दिल्ली में पड़े हैं। क्या इस प्रकार का कोई आपन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की तरफ से आया है कि बहुत से लोग बड़े अफसरों और मिनिस्ट्रो की मर्जी से यहाँ पड़े हुए हैं क्योंकि ट्रांसफर से बहुत घाघली ग्रीव मनमानी हो रही है?

श्री आई.के. गुजराल : आनरेबल मेम्बर ने शायद डम बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जब ट्रांसफर वगैरह की जाती है—किसी को यहाँ रखा जाये या बाहर भेजा जाये—, तो मकसद यही होता है कि किस तरह रेडियो का काम बेहतर चल सकता है। सरकार के हर महकमे में यही बात होती है। ऐसी कोई घाघली हमारे नोटिस में नहीं आई है, और अगर आयेगी, तो उस के बारे में एक्शन लिया जायगा।

SHRI S. M. BANERJEE. Sir, the hon. Minister has said that the service conditions of these employees are governed by the rules which have been

framed by the Department of Personnel. I would like to know from the hon. Minister whether the All India Radio employees are Central Government employees or Corporation employees? What are they? Whenever service rules are made applicable, they say that they are Central Government employees. When it comes to the question of salary, they are not Government employees. I would like to know, when is a final decision going to be taken about the service conditions of these employees? I would like to know whether they are Central Government employees or Corporation employees?

SHRI I K GUJRAL: I may say that all the programme executives in the All India Radio are Government servants

SHRI S M BANERJEE: Only programme executives. What about others?

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I was trying to draw the attention of the hon. Minister several times about this promotion matter. I am glad to know that at least promotions to the extent of 50% will be made on the basis of the recommendation of the UPSC. What about the other 50%? This departmental promotion depends mainly on the confidential reports on the performance of the officers in different stations. I have also brought to the notice of the hon. Minister that in sending such confidential reports, subjective factors are introduced. Even good officers are not always given good certificates by their superiors. That creates a problem. This has created problems in many other cases to which also I have drawn the attention of the hon. Minister. I would like to know from the hon. Minister whether this dependence on the confidential reports by station directors will be done away with and some other independent method will be introduced so that subjective factors in the matter of promotions may not interfere with the merit of any candidate?

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend has opened a very much broader issue, regarding the confidential reports. I share most of his observations. I do feel that a more scientific system is needed for assessment of the performance of the officers not only in All

India Radio, but in other Ministries of the Government of India as well. But, unfortunately, up till now, no alternative system has been devised. We go on following the same confidential report system. I hope a more scientific system will be introduced soon. I am told, the concerned Ministry is giving attention to this.

देश में संकटकालीन स्थिति

* 659. श्री हेमेश सिंह बबेरा :

श्री एस० एन० बिजय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जून, 1974 को प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश में वर्तमान आर्थिक समस्याओं के कारण संकट-कालीन स्थिति को चालू रखा जा रहा है;

(ख) वर्तमान संदर्भ में उन कारणों का औचित्य क्या है जो कि संकटकालीन स्थिति लागू करते समय बताये गये थे, और

(ग) क्या 1962 में घोषित संकटकालीन स्थिति जिस समय समाप्त की गई थी, आज उससे बढ़कर बाह्य आक्रमण का खतरा है ?

गृह मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री एच० एच० जीहसन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 15 जून, 1974 को विदेशी पत्रकार सत्र के साथ सबाद-दाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने केवल कठिन आर्थिक स्थिति, जो युद्ध के समय में स्थिति के समान सम्भरी थी, का उल्लेख किया था।

(ख) संकट कालीन स्थिति की घोषणा को जारी रखने के लिए देश की सुरक्षा अपेक्षाओं पर अत्यधिक निर्णायक विचार किया जाता है। संकटकालीन स्थिति की घोषणा बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा के खतरे के संदर्भ में 3 दिसम्बर, 1971 को की गई थी। यह खतरा जारी है।

(ग) जनवरी, 1968 और अक्टूबर, 1968 की स्थिति के बीच कोई सुरक्षा करना आवश्यक